

नामगारिय बनाम रामलक्ष्मण

संख्या / वर्ष : 27 / 2020

देनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
------------------------	----------------------	-------------

अप्रैल 2010 के सदर पत्र के आधार पर मूल नोट में पारसिक डिक्री जारी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त अवैतन पत्र आम्नापी निष्पक्षता के मूल नोट के निर्णय तक व्यक्तता किया जाता है तथा उक्त पत्रों को जारी आम्नापी निष्पक्षता से वाकिल किया जाता है कि वे उक्त नोट अंत में नोट नोट के निर्णय तक को के खे निम्न की प्रथा स्थिति कराए रखेंगे उक्त नोट अंत में नोट के मध्य में निरास के नामान्तरण खाल में उक्त स्थिति आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। पत्रावली के मध्य धुमार होकर नम्बर से नोट को जारी मूल नोट के साथ समीक्षा हो।

आज्ञा क्रि.नं. 6-12-21 के सह निर्णय प्रशासन गौरी के सेज अतिमान के साथ अणतपुत्र में नजदीक आने में सुनाया गया।


 सहायक कमिश्नर बस्ती जिला बक्सर